अध्याय 1 प्रस्तावना

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) का आरम्भ सुधार प्रेरित उद्देश्य से सम्पूर्ण देश के शहरों को द्रुतगामी प्रगति देने, शहरों में अवसंरचना की दक्षता पर ध्यान देने के साथ, सेवाएँ प्रदान करने वाले तंत्र, सामुदायिक सहभागिता और नागरिकों के प्रति यू.एल.बी./ पैरास्टेटल[1] एजेंसियों को उत्तरदायी बनाने के लिए 3 दिसम्बर 2005 को किया गया। मिशन में वर्ष 2005–06 से 2011–12 तक सात वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 1,00,000 करोड़ से अधिक का निवेश परिकल्पित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा ₹ 50,000 करोड़ के अंशदान की प्रतिबद्धता थी। राज्य सरकारों और यू.एल.बी. द्वारा शेष ₹ 50,000 करोड़ के सहयोग की आशा थी। 2009 में केन्द्रीय सरकार का अंशदान ₹ 66084.65 करोड़ संशोधित कर दिया।

मिशन की योजना इस तथ्य पर आधारित थी कि संविधान के (चौहत्तरवाँ) संशोधन अधिनियम 1992[2] का उदासीन कार्यान्वयन तथा भूमि और आवासीय उद्योग के संचालन वाले कानून, तंत्र और प्रक्रिया के जारी रहते हुए अधिकतर शहरों और कस्बों में अवसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता तथा उनकी वृद्धि और विकास पर अत्यन्त बल दिया जाये। यह भी महसूस किया गया कि शहरों को कुशलता और समान रूप में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन उत्पन्न करना और राज्यों और शहरों के स्तर पर शहरी सुधार कार्यों को सहयोग देना, समुचित योग्य और नियंत्रक ढ़ांचें का विकास करना, निगमों की विश्वसनीयता को बढ़ाना और गरीबों को सेवा प्रदान वाले तंत्र के द्वारा सशक्त करना आवश्यक था।

1.1 मिशन के उद्देश्य एवं अपेक्षित परिणाम

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उद्देश्य थे :

क) मिशन के अंतर्गत शामिल शहरों में अवसंरचना सेवाओं के एकीकृत विकास पर केन्द्रित ध्यान देना।

ख) दीर्घकालीन परियोजना की निरंतरता के लिए सुधारों को बलपूर्वक चलाने के द्वारा परिसंपत्ति–निर्माण और परिसंपत्ति–प्रबंधन के बीच संबंध स्थापित करना।

ग) शहरी अवसंरचना सेवाओं में कमियों को पूरा करने के लिये पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करना।

घ) बिखरे हुए शहरीकरण[3] की दिशा में सीमा से लगे शहरी क्षेत्रों[4], सीमा के बाहर के क्षेत्रों तथा शहरी गलियारों सहित चुनिंदा नगरों का नियोजित विकास

ङ) शहरी गरीबों की सार्वजनिक पहुंच पर बल देने के साथ नागरिक सुविधाओं की आपूर्ति तथा उपयोगिताओं के प्रावधान को बढ़ाना।

च) भीड़भाड़ को कम करने हेतु पुराने नगरीय क्षेत्रों के लिए शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम पर विशेष बल देना और

---

[1] राज्य सरकारों की संवधौनिक एजेंसियां जोकि सुविधाएं जैसे जल, सीवरेज़ आदि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इस संबंध में यह मद् शहरी एजेंसियों हेतु प्रयोग किया गया है।

[2] संविधान में जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची जिसमें राज्य विधान मंडल की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ निगमों पर सौंप दी गई।

[3] शहरीकरण, शहरी क्षेत्रों की भौतिक वृद्धि है जोकि वैश्विक परिवर्तन के या कुल जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप कस्बों में केंद्रित हो गई है (विकिपीडिया के अनुसार–निःशुल्क विश्वकोष वेबसाइट)।

[4] शहर की सीमा से लगा हुआ उपनगर एवं देहात का क्षेत्र।

छ) वहनीय मूल्यों पर पट्टे की प्रतिभूति, विकसित आवास, जल आपूर्ति एवं सफाई सहित शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं का प्रावधान तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की अन्य विद्यमान सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करना।

मिशन की अवधि 2005–06 से 2011–12 तक, सात वर्ष की थी। योजना के दिशा–निर्देशों के अवलोकन के अनुसार, मिशन की समाप्ति पर यू.एल.बी. और पैरास्टेटल एजेंसियों द्वारा प्राप्त होने वाले आशयित परिणाम इस प्रकार थे :

1. सभी शहरी सेवाओं तथा शासन निकायों के लिए तैयार की गई और अपनाई गई आधुनिक एवं पादर्शी बजट, लेखा, वित्तीय प्रबन्ध प्रणालियां।
2. आयोजना एवं शासन हेतु नगर स्तरीय रूप रेखा तैयार की जाएगी एवं क्रियात्मक बनाई जाएगी।
3. सभी शहर निवासी शहरी सेवाओं के बुनियादी स्तर की पहुंच को प्राप्त करने के योग्य होंगे।
4. मुख्य राजस्व विलेखों में सुधार के द्वारा शहरी विकास एवं सेवा आपूर्ति के लिए वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर एजेंसियों की स्थापना की जाएगी।
5. स्थानीय सेवाओं और शासन की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वह नागरिकों के प्रति पारदर्शिता रखती हो तथा जवाबदेही हो।
6. यू.एल.बी/पैरास्टेटल के मूल–कार्यों में ई–शासन अनुप्रयोगों को शुरू किया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप सेवा वितरण की कार्यविधियों में लागत एवं समय में कमी होगी। शहरी स्थानीय निकायों/अर्द्ध–सरकारी एजेंसियों के मुख्य क्रियाकलापों में ई–गवर्नेस एप्लिकेशन आरम्भ की जाएगी ताकि सेवा आपूर्ति प्रक्रिया की लागत और समय में कमी हो सके।

1.2 जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उप–मिशन

जे.एन.एन.यू.आर.एम. में दो उप–मिशन शामिल थे। शहरी विकास मंत्रालय (एम.ओ.यू.डी.) द्वारा प्रशासित शहरी अवसंरचना एवं शासन (यू.आई.जी.) के लिए (उप मिशन-I)। इस उप–मिशन का मुख्य बल जल आपूर्ति और सफाई, सीवरेज़, ठोस कचरा प्रबंधन, सड़क संजाल, शहरी यातायात और पुराने शहरी क्षेत्र के पुनः विकास की अवसंरचना परियोजना पर था।

उप मिशन-II, शहरी गरीबों के लिये बुनियादी सेवायें (बी.एस.यू.पी.) का संचालन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एम.ओ.एच.यू.पी.ए.) द्वारा किया गया। इस उप–मिशन का मुख्य बल आश्रय, बुनियादी सेवायें और अन्य नागरिक सुविधायें प्रदान करने की परियोजनाओं के द्वारा स्लम बस्तियों का एकीकृत विकास करना था।

65 मिशन–शहरों को यू.आई.जी. और बी.एस.यू.पी. के तहत शामिल किया गया। शेष शहरों और कस्बों के लिए दो संघटक, छोटे तथा मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) और एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) उन्हीं व्यापक व्यापक उद्देश्यों के साथ जो यू.आई.जी. और बी.एस.यू.पी. से संबंधित थे, परिकल्पित किये गये।

अवसंरचना और आवास परियोजनाओं के अतिरिक्त, जे.एन.एन.यू.आर.एम. का उद्देश्य प्रभावी शहरी सेवा वितरण को बढ़ाकर, शहरों के विकास तथा शहरी प्रबंधन, भूमि प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन एवं स्थानीय शासन में हितधारकों के योगदान में सुधार के द्वारा नागरिक अवसंरचना के लिये सक्षम वातारण प्रदान

करना था। अतः राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को सुधारों की कार्य सूची[5] को स्वीकृत करना था।

यद्यपि मिशन की अवधि मार्च 2012 तक अपेक्षित थी, योजना आयोग ने जनवरी 2012 में परियोजनाओं की पूर्ति हेतु मिशन की अवधि के दो वर्ष बाद तक बजट प्रावधान करने की सहमति दी।

1.3 मिशन शहर

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उपमिशन यू.आई.जी. और बी.एस.यू.पी. के अंतर्गत 65 शहरों का मिशन शहरों के रूप में चयन किया गया। इन्हें जनगणना 2001 के अनुसार तय किया गया और इनके मानदंड और मापदंड निम्न है:

तालिका संख्या 1.1: राज्यवार और श्रेणीवार 65 मिशन शहरों/शहरी समुदायों (यू.ए.) की सूची जनगणना 2001 के अनुसार

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र भाासित प्रदेश का नाम	श्रेणी क–मेगा शहर/यू.ए. (4 मिलियन से अधिक जनसंख्या)	श्रेणी ख–मिलियन से अधिक शहर/यू.ए. (1 मिलियन से अधिक पर 4 मिलियन से कम जनसंख्या)	श्रेणी ग–चयनित भाहरी/यू.ए. (एक मिलियन से कम जनसंख्या धार्मिक/ऐतिहासिक और पर्यटक महत्ता के साथ)
1.	आंध्रपदेश	हैदराबाद	विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा	तिरूपति
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	ईटानगर
3.	असम	-	-	गुवाहाटी
4.	बिहार	-	पटना	बोध गया
5.	चंडीगढ़	-	-	चंडीगढ़
6.	छत्तीसगढ़	-	-	रायपुर
7.	दादर एवं नागर हवेली	-	-	-
8.	दमन एवं दीव	-	-	-
9.	दिल्ली	दिल्ली	-	-
10.	गोवा	-	-	पणजी
11.	गुजरात	अहमदाबाद	वडोदरा सूरत, राजकोट	पोरबंदर
12.	हरियाणा	-	फरीदाबाद	-
13.	हिमाचल प्रदेश	-	-	शिमला
14.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	जम्मू, श्रीनगर
15.	झारखंड	-	जमशेदपुर, धनबाद	राँची
16.	कर्नाटक	बंगलौर		मैसूर
17.	केरल	-	कोच्ची	तिरूवंतनपुरम
18.	मध्य प्रदेश	-	भोपाल, जबलपुर, इंदौर	उज्जैन
19.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	नासिक, पुणे, नागपुर	नांदेड़
20.	मणिपुर	-	-	इम्फाल
21.	मेघालय	-	-	शिलाँग
22.	मिजोरम	-	-	आईजाल
23.	नागालैण्ड	-	-	कोहिमा
24.	ओड़िशा	-	-	भुवनेश्वर, पुरी
25.	पुडूचेरी	-	-	पुडूचेरी
26.	पंजाब	-	लुधियाना, अमृतसर	-
27.	राजस्थान	-	जयपुर	अजमेर–पुष्कर
28.	सिक्किम	-	-	गंगटोक
29.	तमिलनाडू	चेन्नई	मदुरई, कोयम्बटूर	-

[5] संस्वीकृत समयानुसार सुधारों का कार्यान्वयन

30.	त्रिपुरा	-	-	अगरतला
31.	उत्तर प्रदेश	-	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा	मथुरा
32.	उत्तराखंड	-	-	देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार
33.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	आसनसोल	-
34.	लक्ष्यद्वीप	-	-	-
35.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-	-
	कुल	**7**	**28**	**30**

स्रोत : शहरी विकास मंत्रालय का वर्ष 2009–10 का वार्षिक प्रतिवेदन

यू.आई.जी. और बी.एस.यू.यपी. परियोजना के अंतर्गत निधि–आबंटन प्रतिरूप :

तालिका संख्या 1.2: यू.आई.जी. और बी.एस.यू.पी. परियोजनाओं के अंतर्गत निधि आबंटन प्रतिरूप

(आंकड़े प्रतिशत में)

श्रेणी भाहर/कस्बा/यू.ए.	यू.आई.जी.			बी.एस.यू.पी.	
	अनुदान		यू.एल.बी. या पैरास्टेटल अंश/वित्तीय संस्थायों से ऋण	अनुदान	राज्य/यू.एल.बी./पैरास्टेटल अंश, लाभकारी योगदान सहित
	केंद्र अंश	राज्य अंश		केंद्र अंश	
2001 जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले भाहर/यू.ए.	35	15	50	50	50
2001 जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से अधिक तथा 4 मिलियन से कम जनसंख्या वाले भाहर/यू.ए.	50	20	30	50	50
उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर में भाहर/कस्बें/यू.ए.	90	10	.	90	10
ऊपर उल्लेखित भाहरों के अतिरिक्त भाहर/यू.ए.	80	10	10	80	20
डी–सैलिनेशन प्लांट को स्थापित करने के लिए 20 कि.मी. के क्षेत्र में समुद्रतट और अन्य भाहरी क्षेत्रों मुख्यतः जल की कमी खारा पानी और स्थल स्रोत की अनुपलब्धता से प्रभावित	80	10	10		

स्रोत : यू.आई.जी. और बी.एस.यू.पी. के दिशानिर्देश

1.4 मिशन शहरों के अतिरिक्त शहर और नगर

मिशन शहरों के अतिरिक्त शहरों और नगरों को शामिल करने के लिये दो संघटक–यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. और आई.एच.एस.डी.पी. को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत परिकल्पित किया गया। यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. परियोजनाओं के संबंध में निधि–आबंटन 80:10 के अनुपात में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य था तथा शेष 10 प्रतिशत नोडल/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दिया जाना था। कार्यान्वयन एजेंसियां, आतंरिक संयंत्रों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त निधियों से प्रतिस्थापित कर सकती थी।

आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना में निधियों का अनुपात 80:20, केंद्र और राज्य सरकार/यू.एल.बी./पैरास्टेटल के मध्य था। यह भी परिकल्पित किया गया कि राज्य/कार्यान्वयन एजेंसियां अपने संसाधन, लाभकारी योगदान/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त कर सकती थी।

1.5 केंद्र सरकार द्वारा निधियों का आबंटन और ए.सी.ए. को जारी करना

योजना आयोग ने मूलतः अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) ₹ 50,000 करोड़ का आबंटन सात वर्षों (2005–06 से 2011–12 तक) के लिये किया। वर्ष 2008–09 के दौरान ₹ 66,084.65 करोड़ (बी.एस.यू.पी.– ₹ 16,356.35 करोड़, आई.एच.एस.डी.पी. – ₹ 6,828.031 करोड़, यू.आई.जी. – ₹ 31,500.00 करोड़ और यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. – ₹ 11,400.00 करोड़) संशोधित किये गये। सात वर्ष की अवधि में 2005–06 से 2011–12 के दौरान, भारत सरकार ने पहले ही ₹ 40,584.21 करोड़ (बी.एस.यू.पी - ₹ 8,605.64 करोड़, आई.एच.एस.डी.पी. - ₹ 4,941.69 करोड़, यू.आई.जी. ₹ 18,543.66 करोड़ और यू.आई.डी.एस.एस. एम.टी. ₹ 8,493.22 करोड़) मिशन के अंतर्गत जारी कर दिये थे।

2005–06 से 2011–12 के दौरान आवंटन निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका संख्या 1.3: अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का आबंटन और वास्तविक जारी करना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	यू.आई.जी.		यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.		बी.एस.यू.पी.		आई.एच.एस.डी.पी.		कुल आबंटन	कुल जारी	कमी की प्रतिशतता
	आबंटन	वास्तविक जारी	आबंटन	वास्तविक जारी	आबंटन	वास्तविक जारी	आबंटन	वास्तविक जारी			
2005–06	500.00	90.11	90.00	87.47	0.00	72.14	0.00	0.00	590.00	249.72	57.67
2006–07	2500.00	1262.96	900.00	1248.97	761.00	901.78	362.00	492.62	4523.00	3906.33	13.63
2007–08	2541.08	2529.84	1204.00	1204.00	1195.05	1192.80	789.96	792.24	5730.09	5718.88	0.20
2008–09	4455.37	4544.47	3279.69	3280.26	1813.38	1582.92	1113.88	1296.20	10662.32	10703.85	(-) 0.39
2009–10	3921.97	3977.88	494.15	298.82	1344.36	1338.37	786.74	780.72	6547.22	6395.79	2.31
2010–11	5291.63	1930.93	1508.71	1223.44	1629.75	1925.40	587.43	880.25	9017.52	5960.02	33.91
2011–12	4259.41	4207.47	1315.67	1150.26	1721.00	1592.23	700.00	699.66	7996.08	7649.62	4.33
कुल योग	**23469.46**	**18543.66**	**8792.22**	**8493.22**	**8464.54**	**8605.64**	**4340.01**	**4941.69**	**45066.23**	**40584.21**	**9.95**

स्रोत : एम.ओ.यू.डी. और एम.ओ.एच.यू.पी.ए. से प्राप्त आंकड़े

तालिका संख्या 1.4: 2005–06 से 2011–12 की अवधि के दौरान योजना आयोग द्वारा राज्यवार आबंटन और जारी ए.सी.ए.

(₹ करोड़ में)

राज्य / यू. टी.	ए.सी.ए. आबंटन / जारी 2005–06 से 2011–12 के दौरान								कुल	
	यू.आई.जी.		यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.		बी.एस.यू.पी.		आई.एच.एस.डी.पी.		कुल आबंटन	कुल जारी
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी		
आंध्र प्रदेश	2118.45	1643.58	490.31	1951.94	1547.42	1287.61	764.57	579.90	4920.75	5463.03
अरूणाचल प्रदेश	107.40	112.42	7.46	35.42	43.95	12.67	24.52	4.48	183.33	164.99
असम	273.20	269.46	101.29	123.65	121.94	48.80	67.25	35.11	563.68	477.02
बिहार	592.41	112.98	254.78	106.74	531.54	78.19	168.07	105.35	1546.80	403.26
छत्तीसगढ़	248.03	224.56	134.78	134.73	385.21	169.29	158.83	118.31	926.85	646.89
गोवा	120.94	6.22	22.11	11.05	11.43	1.15	35.79	0.00	190.27	18.42
गुजरात	2578.81	1878.44	351.82	328.67	1015.56	680.09	256.25	145.75	4202.44	3032.95
हरियाणा	323.32	253.27	195.59	96.28	57.31	31.18	209.70	153.86	785.92	534.59
हिमाचल प्रदेश	130.66	38.10	17.44	32.79	31.29	7.37	37.07	24.39	216.46	102.65

जम्मू एवं कश्मीर	488.36	236.67	35.45	183.54	140.18	47.15	117.34	71.66	781.33	539.02
झारखंड	941.20	201.64	114.52	40.03	351.09	82.18	136.00	65.66	1542.81	389.51
कर्नाटक	1524.59	1084.55	443.14	489.31	407.97	316.75	222.69	218.60	2598.39	2109.21
केरल	674.76	273.20	232.82	173.41	250.00	132.83	198.83	143.83	1356.41	723.27
मध्य प्रदेश	1328.50	727.55	438.43	485.94	351.10	226.47	276.64	133.96	2394.67	1573.92
महाराष्ट्र	5505.55	4149.64	664.76	1825.20	3372.56	1749.47	1130.60	726.61	10673.47	8450.92
मणिपुर	152.87	58.46	12.60	28.45	43.91	32.93	32.35	32.35	241.73	152.19
मेघालय	156.68	129.38	7.19	6.45	40.35	26.12	28.97	11.21	233.19	173.16
मिजोरम	148.22	12.82	8.24	7.00	80.11	40.06	29.78	29.78	266.35	89.66
नागालैण्ड	116.28	35.86	10.28	1.91	105.60	79.20	44.14	29.92	276.30	146.89
ओड़िसा	322.35	240.76	181.79	91.70	78.74	31.20	176.33	115.70	759.21	479.36
पंजाब	707.75	171.36	226.60	179.36	444.46	26.39	172.56	66.77	1551.37	443.88
राजस्थान	748.69	482.60	401.43	284.22	383.46	85.47	424.56	317.65	1958.14	1169.94
सिक्किम	106.13	41.94	1.20	36.17	29.06	21.79	20.90	8.96	157.29	108.86
तमिलनाडु	2250.66	1578.71	705.97	566.90	1107.80	649.36	349.38	328.14	4413.81	3123.11
त्रिपुरा	140.18	74.53	13.76	63.42	23.66	13.96	28.36	34.55	205.96	186.46
उत्तर प्रदेश	2769.41	2183.20	947.92	843.82	1165.22	823.49	854.41	683.22	5736.96	4533.73
उत्तराखंड	405.34	208.24	46.70	24.69	97.84	18.90	63.58	62.75	613.46	314.58
पश्चिम बंगाल	3218.40	1167.73	315.25	301.30	2126.98	1000.46	681.04	646.36	6341.67	3115.85
दिल्ली	2823.18	815.33	1.12	0.00	1481.28	473.24	0.00	0.00	4305.58	1288.57
पुडुचेरी	206.80	78.25	5.57	31.34	83.20	29.94	26.95	2.74	322.52	142.27
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	27.29	5.53	31.77	5.53
चंडीगढ़	270.87	52.23	0.00	0.00	446.13	374.28	0.00	0.00	717.00	426.51
लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	21.03	0.00	22.07	0.00
दमन एवं द्वीव	0.00	0.00	2.20	0.31	0.00	0.00	21.97	0.29	24.17	0.60
दादर एवं नागर हवेली	0.00	0.00	1.93	7.46	0.00	0.00	20.56	1.67	22.49	9.13
कुल[6]	**31499.99**	**18543.68**	**6399.97**[7]	**8493.20**	**16356.35**	**8597.99***	**6828.31**	**4905.10***	**66084.66**	**40584.08**

स्रोत : एम.ओ.यू.डी. और एम.ओ.एच.यू.पी.ए. द्वारा उपलब्ध सूचनायें

नोट *: अतिरिक्त ₹ 44.15 करोड़ डी.पी.आर. तैयारी शुल्क, पी.एम.यू./पी.आई.यू., टी.पी.आई.एम.ए. और क्षमता निर्माण हेतु जारी किये गये जिसके बारे में कोई भी राज्यवार आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किये गये।

[6] सारणी 1.3 और 1.4 में दोनों मंत्रालयों द्वारा दिए गए डाटा में आँकड़ों को पूर्णांक में बदलने आए अंतर का कुल।

[7] फरवरी 2009 में यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के लिये कुछ आबंटन को ₹11,400 करोड़ बढ़ाया गया था जोकि राज्य के अनुसार अलग नहीं किया गया था।

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि यू.आई.जी. बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी[8] के संदर्भ में योजना आयोग द्वारा संशोधित विनियोजन के विरूद्ध ए.सी.ए. जारी करने में महत्वपूर्ण कमियाँ थीं। उदाहरण के लिए, यू.आई.जी. के मामले में, गोवा में कमियाँ 94.86 प्रतिशत तक थी तथा 14 राज्य/यू.टी. ऐसे थे जहाँ 50 प्रतिशत से भी अधिक निधियाँ जारी होने में कमी थी। इसी प्रकार बी. एस.यू.पी. परियोजनाओं के मामलों में, सभी राज्यों बिहार (85.29 प्रतिशत), गोवा (89.94 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (94.06 प्रतिशत) तथा राजस्थान (77.67 प्रतिशत) कमियाँ थीं, जो कि 75 प्रतिशत से अधिक कमियों को दर्शाता है। आई.एच.एस.डी.पी. में भी निधियाँ जारी होने में यथेष्ट कमियाँ थी, जिसमें गोवा तथा लक्षद्वीप के संदर्भ में कुछ भी जारी नहीं हुआ था।

1.6 परियोजना की स्थिति

अनुमोदित परियोजनाओं का वर्षवार और संघटकवार ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका संख्या 1.5: अनुमोदित परियोजनाओं का वर्ष और संघटकवार ब्यौरा

संघटक	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	कुल
यू.आई.जी.	**23**	**181**	**117**	**130**	**65**	**16**	**532**
बी.एस.यू.पी.	10	149	113	186	14	27	499
यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	26	307	98	316	6	13	766
आई.एच.एस.डी.पी.	3	194	223	406	118	74	1018
कुल परियोजनाएं	**62**	**831**	**551**	**1038**	**203**	**130**	2815
संचित कुल जोड़	.	**893**	**1444**	**2482**	**2685**	**2815**	.

स्रोत : एम.ओ.यू.डी. और एम.ओ.एच.यू.पी.ए. से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार

परियोजनाओं की समाप्ति के लिये समय अवधि की अनुमति औसतन दो वर्ष के लगभग थी। 31 मार्च 2011 तक 2815 अनुमोदित परियोजनाओं में से, 2482 परियोजनायें (लगभग 88 प्रतिशत), 31 मार्च 2009 तक अनुमोदित की गई। यद्यपि यह निम्न तालिका से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2011 तक कुल परियोजनाओं का केवल 8.98 प्रतिशत ही पूर्ण किया जा सका।

तालिका संख्या 1.6: 31 मार्च 2011 तक परियोजनाओं की स्थिति

संघटक	परियोजना की स्थिति			
	कुल	अभी आरंभ नहीं	प्रगति पर	पूर्ण (प्रतिशत)
यू.आई.जी.	532	65	362	105 (19.73)
यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	766	42	598	126 (16.44)
बी.एस.यू.पी.	499	84	407	8 (1.60)
आई.एच.एस.डी.पी.	1018	91	913	14 (1.37)
कुल	**2815**	**282**	**2280**	**253 (8.98)**

स्रोत : एम.ओ.यू.डी. और एम.ओ.एच.यू.पी.ए. से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार

[8] क्योंकि यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. का संशोधित राज्य–वार आबंटन उपलब्ध नहीं था अतः कमियों का विश्लेषण नहीं किया गया।

1.7 शहरी नवीकरण परियोजनायें

मिशन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य शहरी नवीकरण कार्यक्रम चलाना जैसे कि भीड़ को कम करने के लिये आंतरिक (पुराने) शहरी क्षेत्रों का पुनः विकास करना था। यद्यपि यह पाया गया कि यू.आई.पी. के अंतर्गत 532 अनुमोदित परियोजनाओं में से केवल 11 परियोजनाएं शहरी नवीकरण से संबंधित थी। ये परियोजनाएं केवल आठ शहरों (हैदराबाद, दिल्ली, अजमेर, पुष्कर, कोचीन, जयपुर, भुवनेश्वर, भोपाल और कोलकाता) के लिये अनुमोदित थी। इन ग्यारह परियोजनाओं में से केवल दो परियोजनायें, जो भोपाल में थी, पूर्ण की गई थी। आठ परियोजनायें अभी भी प्रगति में थी जबकि कोचीन की एक परियोजना जो 2009–10 में अनुमोदित हुई थी, अनुमोदन को एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर भी शुरू नहीं हुई।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के संदर्भ में वर्ष 2010–11 तक, 766 अनुमोदित परियोजनाओं में से अपर्याप्त केवल 10 शहरी नवीकरण परियोजनाएं, दस शहरों के लिये अनुमोदित हुई। इन दस परियोजनाओं में से केवल कोल्हापुर, महाराष्ट्र की एक परियोजना पूर्ण हुई और शेष नौ परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर था।

एम.ओ.यू.डी. के उत्तर के अनुसार यह राज्यों पर था कि वे परियोजनाओं को अग्रता के आधार पर चयन करके मंत्रालय को विचार/अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करें।

उत्तर तथ्यों के विपरीत माना जाना चाहिए क्योंकि शहरी नवीकरण परियोजनाओं को लेना मिशन के मुख्य उद्देश्यों में से एक था तथा मंत्रालय को शहरों के आन्तरिक (पुराने) क्षेत्र के पुनर्विकास हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।